LOK SABHA

Tuesday, April 14, 1970/ *Chaitra* 24, 1892 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mr. Speaker : Shri Molahu Prashad.

Shri M. L. Sondhi : Sir, before we take up Questions, I would like to raise a serious matter. As I have submitted to you, according to this order, Section 144 has been promulgated in the compound of the Parliament House. . . . . .

Mr. Speaker : Order, order. Don't exploit this Question Hour for anything else. Shri Molahu Prashad.

Shri M. L. Sondhi : May I crave your indulgence. . . . . .

Mr. Speaker : Not at all ; not during the Question Hour.

Shri M. L. Sondhi : I would like to know whether you are aware of it, how serious is the infringement of the rights of the House ?

Mr. Speaker : Even if I am aware, I will not allow you to get up like this during the Question Hour.

केन्द्रीय अस्पताल, पूर्वोत्तर रेलवे में विशेष दवाइयों का दिया जाना

*991. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के केन्द्रीय अस्पताल में केवल मेडिकल सुपरिन्टेडेन्ट तथा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट ही विशेष दवाइयाँ दे सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि असिस्टेंट मेडिकल सुपरिन्टेडेंट, विशेष दवाइयाँ देने के लिए सक्षम होने के बावजूद भी उन्हें विशेष दवाइयाँ नहीं दे सकते ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अस्पताल में गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों को तबदील नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस बारे में समुचित व्यवस्था करेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) और (ख) . जी नहीं।

(ग) जहाँ तक रेल अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके एक स्थान पर रहने की कोई अनम्य अवधि नियत नहीं की गयी है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, अभी उप-मंत्री महोदय ने मेरे मूल प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसमें सत्यता नहीं दिखाई देती है। जैसा कि मैंने अपने मूल प्रश्न के (क) और (ख) भाग में पूछा था हकीकत यह है कि बड़े

डाक्टरों को ही अच्छी दवा देने और उसे लिखने का अधिकार दिया गया है किन्तु छोटे डाक्टरों को इस तरह की अच्छी दवाएं लिखने का अधिकार नहीं दिया गया है। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी जिनकी बड़े डाक्टर्स तक पहुंच नहीं होती है वह उस तरह की अच्छी दवाएं उन से नहीं ले पा रहे हैं और इस गड़बड़ी के बारे में क्या मंत्री महोदय जांच करवायेंगे ?

(ग) और (घ) के सम्बन्ध में भी जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह भी संतोषजनक नहीं है। (ग) और (घ) इस प्रकार था :

क्या यह अग्रेतर सच है कि उक्त अस्पताल में गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों को तबदील नहीं किया गया है; और

यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस बारे में समुचित व्यवस्था करेगी ?

मेरे इन प्रश्नों का मंत्री महोदय ने कोई साफ उत्तर नहीं दिया है जबकि गृह-कार्य मंत्रालय ने प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने के लिए दिनांक 6 सितम्बर, 1957 को एक अर्धशासकीय पत्र संख्या 11–3–57 ओ० एण्ड० एम० जारी किया था। इसके सम्बन्ध में मंत्री जी स्पष्ट जानकारी दें ताकि यह जो अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है और भाई भतीजावाद चल रहा है उसका खात्मा हो सके। यह मेरे प्रश्न पूछने का तात्पर्य है।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो है कि छोटे कर्मचारियों को हम लोग अच्छी दवाए नहीं देते जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है तो उनकी यह बात गलत है.....

श्री मोलहू प्रसाद : क्या मंत्री महोदय इस बारे में जांच करायेंगे ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : जांच कराने की इस में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेस्फिक बात हो तो माननीय सदस्य मुझे उसके बारे में बतलायें और मैं उस बारे में जरूर देखूंगा।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने जो गृह-कार्य मंत्रालय के एक सरकुलर का हवाला देते हुए पूछा है, उसके सिलसिले में मुझे निवेदन करना है कि वैसे रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में वह सरकुलर लागू नहीं होता है परन्तु बोर्ड ने आर्डर्स इश्यू कर दिये हैं कि जहां तक हो सके महत्वपूर्ण पद पर काम करने वाला कोई अफसर पाँच साल से ज्यादा अर्से तक एक जगह पर न रहे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अपवाद हो सकते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां कि 5 साल से भी ज्यादा समय से डाक्टर्स चले आ रहे हैं लेकिन आमतौर पर हम इस का खास तौर से ख्याल रखते हैं कि महत्वपूर्ण पद पर काम करने वाला कोई अफसर एक जगह पर 5 साल से अधिक न रहे।

श्री मोलहू प्रसाद : मंत्री महोदय ऐसे अधिकारियों की संख्या बतलायें जो कि तीन साल से अधिक एक स्थान पर काम कर रहे हैं। तीन साल से अधिक एक पद कितने ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि 7 ए० एम० ओ० तीन साल से अधिक समय से नार्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में काम कर रहे हैं लेकिन वह सब स्पेशलिस्ट्स हैं।

श्री मोलहू प्रसाद : मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या इस तरह का जो भाईभतीजावाद हर सरकारी दफ्तरों में पनप रहा है, इस तरह से जो गड़बड़ी चलती है उसके लिए क्या मंत्री महोदय एक स्पष्ट आदेश देगें कि यह जो ऊँचे अधिकारी हैं इनको कम से कम तीन साल या पाँच साल के बाद उनके स्थान से बदल कर दूसरी जगह भेज दिया जाया करे। आज हालत यह है कि वह ऊँचे अधिकारी 15–15 और 16–16 साल से एक ही जगह पर डटे हुए हैं, मगरमच्छ बन कर बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार पनप रहा है तो इस को दूर करने के लिए कोई जल्दी निश्चित निर्देश इस सम्बन्ध में देगें ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी मैं समझता था कि मेरे उत्तर से माननीय सदस्य को संतोष हो जायेगा। जैसा मैंने पहले कहा 7 ए० एम ओ० डाक्टर्स तीन साल से अधिक समय से नार्थ ईस्टर्न रेलवे, गोरखपुर में काम कर रहे हैं। 27 डाक्टर्स काम कर रहे हैं। 18 जरनल ड्यूटी पर हैं और 9 स्पेशलिस्ट्स हैं बाकी माननीय सदस्य

ने जो प्रश्न उठाया है उसका कोई औचित्य नहीं मालूम देता है।

श्री मोलहू प्रसाद : वह एक ही जगह पर रहने दिये जायेंगे ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी जैसे-जैसे संभव होगा वह उस अवधि के बाद हटाये जायेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन अस्पतालों के अन्दर वह जो छोटे कर्मचारी हैं चौथे क्लास के, वह अपने इलाज के लिए जब जाते हैं तो बीमारी अगर सीरियस हुई और उसके लिए अच्छी स्पेशल दवाई अस्पताल में उन्हें नहीं मिलती है और दवाओं की जो लिस्ट बनी है उसमें वह दवाई नहीं होती है और डाक्टर लिख देता है कि बाहर से फलां दवा मोल लेकर आओ तब उस का इलाज होगा तो इस प्रकार के गरीब जिनके पास पैसा नहीं है उनका माकूल इलाज अस्पताल से हो सके और अस्पताल से ही माकूल दवा उन्हें मिल सके इसके लिए क्या मंत्री महोदय कोई माकूल व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

दूसरे मुझे यह भी पता चला है कि कई ऐसे डाक्टर्स हैं जो कि इन छोटे कर्मचारियों पर जोर देते हैं कि जब वह फैम्ली प्लानिंग करेंगे, नसबंदी करायेंगे तभी उनको छुट्टी मिलेगी। इसके लिए उनकी तनख्वाह भी रोक ली जाती है। फेम्ली प्लानिंग और नसबंदी उन्होंने करा ली है इसका वह प्रमाणपत्र लेकर आयें तभी उनको छुट्टी मिलेगी और रुकी हुई तनख्वाह भी मिल जायेगी। ऐसे उदाहरण मैं मंत्री महोदय को दे सकता हूं और इस चीज को रोकने के लिए क्या वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने अपने दूसरे प्रश्न में वह जो फैम्ली प्लानिंग का प्रश्न उठाया है तो उस के लिए मेरा कहना है कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई हिदायत नहीं है और न ही ऐसी कोई बात होती है बाकी अगर कोई ऐसी बात कहीं पर हुई हो तो माननीय सदस्य कृपा करके मुझे बतलायें और मैं उसे जरूर देखूंगा।

जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का अर्थात् दवाओं के बारे में सवाल है तो उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि जिस मरीज के के लिए जो दवा बतलाई जाय उसे देने के लिए हम प्रबबन्ध करें। यदि वह दवाई मौके पर न हो तो उसी किस्म की उससे अच्छी या दूसरी जो स्टाक में हो उसे देने का पूरा प्रयत्न करते हैं ताकि हमारे कर्मचारियों को लाभ हो।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : गोरखपुर के एन ई एफ रेलवे के सेंट्रल अस्पताल में डाक्टरों की दलबंदी है और जो डाक्टर तीन वर्ष से कम के भी है उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है तो क्या मंत्री महोदय यह जो घांधली चल रही रही है इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना कि कहीं भी डाक्टरों में दलबंदी नहीं है, जरा मुश्किल है लेकिन माननीय सदस्य अगर कोई खास केस मेरे नोटिस में लायेंगे तो मैं उस बारे में देख सकता हूं और आवश्यक जाँच भी करवा सकता हूं।

श्री रवि राय : यह जो नार्थ इस्टर्न में रेलवे का सेंट्रल अस्पताल है उसके लिए क्या मंत्री महोदय पिछले एक साल का ब्यौरा दे सकते हैं कि वह दो मैडिकल आफिसर्स जिनको कि विशेष दवाई देने का अधिकार दिया गया है उनके द्वारा इस पिछले एक साल में जो आफिसरों और कर्मचारियों को दवाई दी गई है उसका वह ब्योरा बतलायें अर्थात् जिनकी तनख्वाह 1500 रुपया है उनको कितनों को दी गई है और उससे कम वेतन पाने वालों में से कितनों को दी गई है ? पिछले एक साल का क्या वह ब्योरा देंगे ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसे मैंने पहले अपने उत्तर में बतलाया वह दवाई देने के बारे में कोई तनख्वाह आदि का प्रश्न नहीं उठता है। डाक्टर मरीज के लिए जो दवा या विशेष दवा तजवीज करता है उसे हम लोग देने का पूरा प्रयत्न करते हैं बशर्ते कि वह हमारे स्टाक में हो।

श्री रवि राय : जिनको वह दी गई है वह किस कैटेगरी में आते हैं और वह क्या तनख्वाह पाते हैं ? कैटेगरी वाइज तनख्वाह के हिसाब से मंत्री महोदय क्या ब्योरा सुलभ कर सकते हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस में कोई कैटेगरी का प्रश्न नहीं उठता है। डाक्टर जिस मरीज के लिए जो भी दवा प्रेस्काइब करते हैं

वह उसे दी जाती है और वह न हो तो फिर उससे मिलती जुलती दवा डाक्टर द्वारा दी जाती है।

श्री रवि राय : छोटे कर्मचारियों को स्पेशल दवाई नहीं दी जाती है लेकिन बड़े कर्मचारियों को वही स्पेशल दवाई दे दी जाती है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी: जी नहीं।

LOOTING OF PASSENGERS IN KUMAUN EXPRESS

+

*992. **Shri Shri Chand Goyal** :

Shri N. R. Laskar :

Shri Dhandapani :

Shri Ramesh Chandra Vyas :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a serious robbery in the Kumaun Express has taken place on the 19th March, 1970 ;

(b) if so, the circumstances of the robbery and whether there was any police guard or the Railway Protection Force present in the train ;

(c) the total loss suffered by the passengers and the Railways ; and

(d) the steps taken by Government to check the recurrence of such incidents in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : (a) Yes, Sir but the incident of dacoity took place on 18th March, 1970, and not on 19th March, 1970.

(b) and (c). A Statement giving details is laid on the Table of the Sabha.

(d) (i) Apart from tightening up the normal Police arrangements by Government Railway Police, such as keeping watch at important stations and periodical raids to round up criminals and anti-social elements, the State Government of Uttar Pradesh have taken additional security measures by way of escorting important night passenger trains, introducing armed patrolling/ setting up of special pickets in affected areas. Railway Protection Force re-inforcements are also given, wherever necessary to the Government Railway Police to augment their arrangements.

(ii) Strict instructions have also been issued to the Railway Protection Force staff, on duty in yards or station platforms for guarding railway property, to rush to the scene of crime and render all possible help to the victims.

STATEMENT

Eight criminals armed with pistols and daggers entered 3rd class compartment No. 7637 attached to 12 Down Kumaun Express when it left Baheri Railway station on the evening of 18th March, 1970. The criminals looted the belongings of some 7/8 passengers of the compartment at the point of pistols and daggers. When he resisted, Travelling Ticket Examiner, Shri Shiv Prasad Srivastava, received skin-deep shot injury. Some passengers also sustained minor injuries. The dacoits pulled the alarm-chain near Richha Road and escaped after firing two rounds in the air. Only 4 persons lodged reports with the Police wherein cash and belongings worth Rs. 11,191- were reported to be looted. Property worth about Rs.3,000/ was recovered by the Government Railway Police who have registered a case under section 395/397 I. P. C. Four dacoits have since been arrested.

No Government Railway Police escort was provided in the Kumaun Express between Kathogodam and Bareilly City. Government Railway Police escorts were being provided on this train from Bareilly City to Agra and *vice versa*.

Shri Shri Chand Goyal : The Minister has tried to make out a case as if all arrangements have been undertaken and everything is O. K. But I want to bring to his notice that the 'Crime wave' especially in Eastern Uttar Pradesh has reached such a length that almost 300 cases of looting, theft and dacoity take place in a month and also I want to bring to his notice. . . . . .

Mr. Speaker : Don't bring to his notice : ask a question.

Shri Shri Chand Goyal : This is a very serious matter. Look at the answer he has